रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-18

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 139] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 1974/चैत्र 1, 1896
No. 139] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 1974/CHAITRA 1, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 22nd March 1974

S.O. 199(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of death of Shri Dharamrao Sharnappa Afzalpurkar, a member elected to that House from 2-Gulbarga Parliamentary Constituency in the State of Karnataka;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect a person to fill the said vacancy before 26 April, 1974 (Friday) in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder.

[No. 100/MY-HP/1/73(1)]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1974

एस० ओ० 199 (अ).—यतः कर्नाटक राज्य में 2—गुलबर्गा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकार की मृत्यु हो जाने के परिणाम-स्वरूप उस सदन में एक स्थान रिक्त हो गया है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्द्वारा अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 26 अप्रैल, 1974 (शुक्रवार) से पूर्व, उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें ।

[सं० 100/मैसूर-लो०स०/1/73(1)]

S.O. 200(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 2-Gulbarga Parliamentary Constituency in the State of Karnataka in pursuance of its notification No. 100/MY-HP/1/73(1), dated 22 March, 1974:—

(a) 29th March, 1974 (Friday), as the last date for making nominations;

(b) 30th March, 1974 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) 1st April, 1974 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) 21st April, 1974 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) 26th April, 1974 (Friday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/MY-HP/1/73(2)]

एस० ओ० 200 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/मैसूर-लो०स०/1/73(1), तारीख 22 मार्च, 1974 के अनुसरण में कर्नाटक राज्य के 2-गुलबर्गा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में—

(क)	नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख	29 मार्च, 1974 (शुक्रवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	30 मार्च, 1974 (शनिवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख	1 अप्रैल, 1974 (सोमवार) [1 अप्रैल, 1974 (सोमवार)
(घ)	वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा	21 अप्रैल, 1974 (रविवार)
(ङ)	वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा	26 अप्रैल, 1974 (शुक्रवार)

एतद्द्वारा नियत करता है ।

[सं० 100/मैसूर—लो० स०/1/73(2)]

S.O. 201(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 7.30 A.M. to 5.30 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 2-Gulbarga Parliamentary Constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/MY-HP/1/73(1), dated 22nd March, 1974.

[No. 100/MY-HP/1/73(3)]

By order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

एस० ओ० 201 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/मैसूर—लो० स०/1/73(1), तारीख 22 मार्च, 1974 के अनुसरण में लोक सभा के लिए होने वाले उप—निर्वाचन के लिए 7—30 बजे पूर्वाह्न से 5—30 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिस के दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 100/मैसूर—लो० स०/1/73(3)]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974